भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./06/08/2017/एफ.सी. /42 दिनाँक: 5/5/17

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0 प्र0।

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/20340/2016</u>

विषयः एस्सार ऑयल लि0, वाराणसी द्वारा इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (एस0एच0–07) के किमी0 संख्या– 113 से 114 के मध्य खाता/खतौनी नं.–702 ग्राम– निजामपुर, थाना– शाहगंज, तहसील– शाहगंज, जनपद–जौनपुर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के संपर्क मार्ग हेतु 0.0750 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 388/14–2–2017–800 (167)/2016, दिनांक– 22.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–169/14–2–2016–800(167)/2016, दिनांक–11.01.2017 आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉंगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 19.01.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त सदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार एस्सार ऑयल लि0, वाराणसी द्वारा इलाहाबाद–गोरखपुर मार्ग (एस0एच0–07) के किमी0 संख्या– 113 से 114 के मध्य खाता/खतौनी नं.–702 ग्राम– निजामपुर, थाना–शाहगंज, तहसील– शाहगंज, जनपद–जौनपुर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के संपर्क मार्ग हेतु 0.0750 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे 100 वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

5/5/17

3. State Govt. will upload part IV and part V of the performa at para 16/17 of part II online as has been provided in hard copy.

4. State Govt. will provide original hard copy of FRA Certificate instead of photocopy.

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (464.64 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जाएगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. विशेष सचिव (वन),वन अनुभाग, 6वां तल,बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर, उ0 प्र0
5. डिवीजनल मैनेजर, एस्सा ऑयल लि0, तृतीय तल, अरिहन्त कांप्लेक्स, सिगरा, वाराणसी– 221010
6. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}